फाइल सं. ओ-19025/4/2001-ओएनजीसी-डी.वी.(भाग)
भारत सरकार
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

23 जून, 2008
शास्त्री भवन, नई दिल्ली

सेवा में,
सभी पीएससी प्रचालक,
(संलग्न सूची के अनुसार)

विषय : अनिवार्यता प्रमाणपत्र का जारी किया जाना।

महोदयगण,

उत्पादन साझेदारी संविदा के उपबंधों के अनुसार ठेकेदार के लिए यह आवश्यक है कि वह समीक्षा और अनुमोदन, जैसा भी मामला हो, के लिए प्रबंधन समिति को वार्षिक कार्य का कार्यक्रम और बजट प्रस्तुत करे। यह एक वार्षिक कार्य है और प्रत्येक ठेकेदार के लिए यह आवश्यक है कि वह पीएससी की लेखांकन प्रक्रिया में विनिर्दिष्ट लागतों के विभिन्न प्राकृतिक शीर्षों के अनुसार बजट प्रस्तुत करे। यह नोट किया गया है कि बजट प्रस्तुत करते समय भिन्न-भिन्न पीएससी प्रचालक भिन्न-भिन्न पद्धतियां/फार्मेट अपना रहे हैं। तदनुसार बजट फार्मेट, पीएससी की लेखांकन प्रक्रिया के अनुरूप मानकीकृत कर दिए गए हैं।

उपर्युक्त बात को ध्यान में रखते हुए ईऐण्डपी के सभी प्रचालकों को सलाह दी जातीहै कि वे अगले संविदा वर्ष या वित्तीय वर्ष 2008-09, इनमें से जो भी पहले हों, से लागू इन फार्मेटों के पूरी तरह अनुसार संबंधित अन्वेषण के दौरान बजटों के प्रस्तुतीकरण का अनुसरण करें।

भवदीय,
हस्ता./-
(सुनीता शर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार

अनुलग्नक : अनुबंध I से XIV